न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र:–05/2021
जी.सी.एम.एस नं.–2021/54

पुरूषोतम नागपाल पुत्र घनश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–5 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— **प्रार्थी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 (भू.अ.) राजस्व अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट –प्रार्थी की ओर से
2. राज पैरोकार –अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::– **दिनांक–27.01.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि वाके चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–45 का कि.नं.–1 का 19 बिस्वा, 2 का 18 बिस्वा, 3 का 18 बिस्वा, 4 का 8 बिस्वा, 8 का 3 बिस्वा 9 का 12 बिस्वा, 1 का 19 बिस्वा कुल 5 बीधा मुरब्बा नं. –57 का किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा, 8 ता 12 प्रत्येक सालम, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा, 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीधा व मुरब्बा नं.–60 का कि.नं.–1 का 19 बिस्वा, 2 ता 9, 11 का 1 बिस्वा कुल 10 बीधा इस प्रकार कुल 25 बीधा लक्षमणसिहं पुत्र मोहतासिहं जाति कम्बोसिख को आवंटित हुई थी जो सम्वत 2025 से 2028 में गैरखातेदारी थी। यह कि प्रकरण में लक्षमणसिहं पुत्र मोहतासिहं को आवंटित कृषि भूमि मे से वाके चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 (नया मुं.नं.–55 पं.नं.–293/438) का किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 8 ता 12 प्रत्येक सालम, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीधा का विवाद है जिसे आयंदा विवादित कृषि भूमि कहा जाएगा। यह [illegible] यहां यह स्पष्ट करता है कि लक्षमणसिहं को उक्त कुल 25 बीधा कृषि भूमि [illegible] हुई थी जिसके खातेदारी अधिकार भी आवंटी लक्षमणसिहं द्वारा प्राप्त कर लिए गए पश्चात आवंटी लक्षमणसिहं द्वारा श्रीमान जिलाधीश, श्रीगंगानगर से नियमानुसार विक्रय स्वीकृति के आदेश प्राप्त कर अपनी उक्त आवंटित कुल 25 बीघा कृषि भूमि में से चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 नया 55 किला नम्बर का 15 बिस्वा 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा 7 का 7 बिस्वा, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 5 बीघा का वैचान कृष्णादेवी पत्नी रामचन्द्र छाबडा को व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 16:23:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किला नं.–8 ता 12 के 5 बीधा का बैचान शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा को करके उनके पक्ष में बैयनामा दिनांक–15.05.1981 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिये तत्पश्चात कृष्णादेवी पत्नी रामचन्द्र छाबडा की मृत्यू के बाद कृष्णादेवी की वसीयत के आधार पर उक्त समस्त विवादित 10 बीधा कृषि भूमि अकेले शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा के नाम से इन्तकाल दर्ज किया गया। लक्ष्मणसिहं द्वारा श्रीमती कृष्णादेवी व शिव कुमार के पक्ष में किये गये बैयनामाजात दिनांक–15.05.1981 की प्रतियां सलग्नं प्रार्थना–पत्र हैं यह कि तत्पश्चात शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा द्वारा अपनी उक्त मुरब्बा नं.–57 नया 55 की कुल 10 बीधा में से किला नम्बर का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा, 20 का 14 बिस्वा कुल 5 बीधा का बैचान प्रार्थी को प्रतिफल की ऐवज में कर स्वयं शिव कुमार द्वारा बैयनामा दिनांक–09.03.2000 को उप पंजीयक अनूपगढ़ से पंजीकृत करवा दिया। बैयनामा दिनांक–09.03.2000 की प्रति सलग्नं वाद हैं। तत्पश्चात शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा द्वारा अपनी उक्त मुरब्बा नं.–57 नया 55 की कुल 10 बीधा में से शेष बची किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 5 बीधा का बैचान प्रार्थी को प्रतिफल की ऐवज में कर शिव कुमार द्वारा अपने मुख्तयारआम राकेश कुमार के मार्फत उक्त बैचान की गई भूमि का बैयनामा दिनांक–11.05.2000 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। बैयनामा दिनांक–11.05.2000 की प्रति सलग्नं वाद हैं इस प्रकार शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा द्वारा अपनी चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 नया 55 किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 8 ता 12 प्रत्येक सालम 13 का 7 बिस्वा 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीधा का बैचान जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक–09.03.2000 व 11.05.2000 को कर कब्जा भूमि इसी अनुरूप मौका पर प्रार्थी को सौप दिया जिस पर तब से लेकर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त इन्ही 10 बीधा भूमि पर चला आ रहा हैं यह कि विक्रेता शिव कुमार चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 नया 55 किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 8 ता 12 प्रत्येक सालम 13 का बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा, 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीधा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा इसी कृषि भूमि का ही बैचान मूल आवंटी व खातेदार लक्ष्मणसिहं द्वारा श्रीमती कृष्णादेवी व शिव कुमार को जरिए पंजीकृत बैयनामाजात बैचान किया गया था और इन्ही किलाजात का कब्जा श्रीमती कृष्णादेवी व शिव कुमार को मौका पर सौपा गया था तथा श्रीमती कृष्णादेवी के देहान्त उपरांत उसके द्वारा खरीद की गई भूमि का वसीयत का इन्तकाल शिव कुमार के नाम से हुआ इस प्रकार उक्त मुरब्बा नं. 55 की 10 बीधा भूमि शिव कुमार के धारण में थी इसके अलावा शिव कुमार के पास इस चक में अन्य कोई भी नहीं थी तथा इसी विवादित भूमि का ही बैचान शिव कुमार द्वारा प्रार्थी को जरिए पंजीकृत बैयनामाजात प्रार्थी को किया गया था शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा स्वयं द्वारा अपनी उक्त मुरब्बा नं.–57 नया 55 की कुल 10 बीधा में से किला नम्बर का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 [illegible] 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 5 बीधा का बैयनामा दिनांक–09.03.2000 को [illegible] पंजीयक अनूपगढ़ से पंजीकृत करवा दिया तत्पश्चात शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा के मुख्तयारआम राकेश कुमार द्वारा मुरब्बा नं.–57 नया 55 के किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 5 बीधा का बैयनामा दिनांक–11.05.2000 को निष्पादित करवाया गया [illegible] जमाबन्दी में चक–80 जी.बी का मु.नं.–57 नया 55 का कुल रक्वा 5.884 हैक्टर मे मुश्तरका खाता में शिव कुमार का 1.265 हैक्टर कुल 5 बीधा गलती से लिखा होने के कारण प्रलेख लेखक द्वारा भी बैयनामा लिखते वक्त चक–80 जी.बी का मु.नं.–57 नया 55 का कुल रक्वा 5.884 है.मे मुश्तरका खाता में शिव कुमार का 1.265 हैक्टर कुल 5 बीधा लिख दिया गया

Signature Not Verifi
Digitally signed by Sures
Rao
Date: 2025.04.28 15:23:
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जो कि एक सदभाविक व मानवीय भूलवश त्रुटि है इस प्रकार बैयनामा दिनांक–11.05.2000 में चक–80 जी.बी का मु.नं.–57 नया 55 के किला नं.–8 ता 12 का 1.265 हैक्टर कुल 5 बीधा के स्थान पर सहबन से भूलवश चक–80 जी.बी का मु.नं.–57 नया 55 का कुल रक्बा 5.884 हैक्टर मे मुश्तरका खाता में शिव कुमार का 1.265 हैक्टर कुल 5 बीधा दर्ज हो गया जबकि स्वयं शिव कुमार द्वारा जो बैयनामा उप पंजीयक अनूपगढ़ दिनांक–03.09.2000 को करवाया गया वह किलावाईज मुरब्बा नं.–57 नया 55 की कुल 10 बीधा में से किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 5 बीधा का निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया इस प्रकार उक्त मुरब्बा नं.–57 नया 55 का किला नं.–8 ता 12 की 5 बीधा शिवकुमार के नाम से शेष थी जिसका ही बैचान उसके द्वारा किया गया था लेकिन बैयनामा में मुश्तरका खाता में शिव कुमार का 1.265 हैक्टर सहबन से भूलवश लिख दिया गया जो कि एक सदभाविक व मानवीयभूल वश हुई त्रुटि है जो सदभाविक हैं। प्रार्थी को उक्त गलती का पूर्व में ज्ञान नही था जिसका सर्वप्रथम इल्म प्रार्थी को पटवारी हल्का के माध्यम से राजस्व रिकार्ड की स्थिति के बारे में पता करने पर अरसा 20 दिन पूर्व ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसीलवार अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर व अपने समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करवाकर राजस्व रिकार्ड में हुई सहबन से त्रुटि को दुरूस्त कर उक्त विवादित रक्बा प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने ने ऐसा करने से इन्कार करते हुऐ कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवे। बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र हैं। लक्ष्मणसिहं को उक्त कुल 25 बीधा कृषि भूमि भूमिहीनो में आवंटन हुई थी जिसके खातेदारी अधिकार भी आवंटी लक्ष्मणसिंह द्वारा प्राप्त कर लिए गए तत्पश्चात आवंटी लक्ष्मणसिहं द्वारा श्रीमान जिलाधीश, श्रीगंगानगर से नियमानुसार विक्रय स्वीकृति के आदेश प्राप्त कर अपनी उक्त आवंटित कुल 25 बीधा कृषि भूमि में से चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 नया 55 किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 13 का 7 बिस्वा 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 5 बीधा का बैचान कृष्णादेवी पत्नी रामचन्द्र छाबडा को व किला नं.–8 ता 12 के 5 बीधा का बैचान शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा को करके उनके पक्ष में बैयनामा दिनांक–15.05.1981 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिये तत्पश्चात कृष्णादेवी पत्नी रामचन्द्र छाबडा की मृत्यू के बाद वसीयत के आधार पर उक्त समस्त विवादित 10 बीधा कृषि भूमि अकेले शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र छाबडा के नाम से इन्तकाल दर्ज किया गया तत्पश्चात शिव कुमार द्वारा स्वयं व अपने मुख्तयार आम के माध्यम से चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 नया 55 किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 8 ता 12 प्रत्येक सालम 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीधा का बैचान जरिए पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक–03.09.2000 व 11.05.2000 को किया गया था तथा उक्त समस्त 10 बीधा कृषि भूमि के ही हक अधिकार एवं अधिपत्य प्रार्थी मे निहित हो चुके है। लेकिन सहबन से बैयनामा दिनांक–11.05.2000 में शिव कुमार के नाम किला नम्बर 8 ता 12 की 5 बीधा के स्थान पर मुश्तरका खाता में 1.265 हैक्टर कुल 5 बीधा के विक्रय का गलत दर्ज हो गया जो कि सदभाविक त्रुटि है, जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम से चक–80 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 नया 55 किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा 8 ता 12 प्रत्येक सालम 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीधा का खातेदार कृषक अंकित किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर कृषि भूमि वाके चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–57 (नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Rao
Date: 2025.04.28 15:23:4
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मु.नं.–55 पं.न.–293/438) का किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा, 8 ता 12 प्रत्येक सालम, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीघा यानि 2.532 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि का प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक रिपोर्ट भु.अ. निरीक्षक 2 पी.जी.एम (बी) के व वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार चक–80 जी.बी का मु.नं.–43 प.नं.–291/437, मु.नं.–55 प.नं.–293/438 के मु.नं.–58 प.नं.–296/439 का कुल 5.884 हैक्टयर रकबा अमरीकसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह वगैरह के नाम से संयुक्त खाता है जिसमें पुरुषोतमदास पुत्र घनश्यामदास जाति अरोडा का 2.532 हैक्टर रकबा हिस्से में आता हैं। आस–पास के मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पाया कि मु.नं.–55 प.नं.–293/438 के 2.532 हैक्टर रकवे पर पुरुषोतमदास पुत्र घनश्याम विवाद नहीं है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों तथा तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक–16 जुलाई 2021 प्रार्थी चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–57 (नया मु.नं.–55 पं.नं.–293/438) का किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा, 8 ता 12 प्रत्येक सालम, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीघा यानि 2.532 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की है तथा उक्त विवादित भूमि चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–57 (नया मुं.नं.–55 पं.नं.–293/438) का किला नम्बर 1 का 15 बिस्वा, 2 का 15 बिस्वा, 3 का 15 बिस्वा, 4 का 15 बिस्वा, 5 का 5 बिस्वा, 7 का 7 बिस्वा, 8 ता 12 प्रत्येक सालम, 13 का 7 बिस्वा, 19 का 7 बिस्वा 20 का 14 बिस्वा कुल 10 बीघा यानि 2.532 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि का प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र बहक प्रार्थी, विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बहक प्रार्थी विरूद अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेश दिया जाता है कि सयुक्त खाता की कृषि भूमि में से वाके चक–80 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का वर्तमान मुं.नं.–55 पं.नं.–293/438 का किला नम्बर 1 का 0.190 हैक्टर, 2 का 0.190 हैक्टर, 3 का 0.190 हैक्टर, 4 का 0.190 हैक्टर, 5/1 का 0.063 हैक्टर, 7/1 का 0.089 हैक्टर, 8 ता 12 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 13/1 का 0.089 हैक्टर, 19/1 का 0.089 हैक्टर, 20/1 का 0.0177 हैक्टर कुल भूमि 2.532 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी पुरूषोतम नागपाल पुत्र घनश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–5 अनूपगढ़ के नाम से अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी होगा।

निर्णय आज **दिनांक–27.01.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Rao
Date: 2025.04.28 15:23:4
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़